

Memo No. DEP(R)/1655

Date: 30-4-12

सेवा में,

मैनेजर,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कानर्स
मदीना, जिला रोहतक।

विषय:- **Issue of N.O.C.:- M.D.S. Public School, Madina.**

हवाला:- आपके पत्र क्रमांक शुन्य दिनांक 27-04-2012 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर हवालाधीन पत्र के साथ प्राप्त कागजातों के अध्ययन उपरान्त सूचित है कि खेवट नं0 585, खतीनी नं0 671 व किला/खसरा नं0 179//1/2, 2/1/2, 9, 10, 11/1, 12/1 गाँव मदीना कोरसान, तहसील महम, जिला-रोहतक इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर पड़ते हैं यह सूचना निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. जब भी दल का स्थल नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आएगा तो पंजाब अनुसूचित सडक एवं नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 41), एवं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 के अनुसार स्थल पर धाराएं लागू हो जाएंगी तथा इस विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
2. यह सूचना स्थल पर लागू अन्य किसी विभाग के नियमों/अधिनियमों को प्रभावित नहीं करेगी।
3. स्थल से पहुँच मार्ग, पार्किंग, पानी की सुविधा, खेल के मैदान एवं भवन निर्माण से सम्बन्धित स्थिरता प्रमाण पत्र आप अपने स्तर पर जांच लें।

पृष्ठांकन क्रमांक 1656

इसकी एक प्रति M.D.S. Public School, Madina, तहसील महम व जिला रोहतक को सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक।

दिनांक 30-4-12

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक।